

172-22

पत्रावली फेड। कादी द्वारा घन काद
 पत्र जोर प्रेम के आधार पर वारिज
 रहे या निवेदन स्वीकार न घन
 काद वारिज किया जा चुका है। ऐसी
 स्थिति में इस प्रार्थना पत्र की कोई
 आवश्यकता नहीं रहने के कारण यह
 प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर वारिज
 किया जाता है। पूर्व में दिनांक 13/10/17
 को जारी इंटरिम आस्थाई निदेशिका
 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली
 फेसब शुमार होकर नम्बर हो कम
 हो।

(अशिला पा) —
 उपखण्ड अधिकारी
 घडसाना